



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 533]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 4, 2019/माघ 15, 1940

No. 533]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 4, 2019/MAGHA 15, 1940

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2019

का.आ. 650(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय वक्फ परिषद् नियम, 1998 के नियम 4 के साथ पठित वक्फ अधिनियम, 1995 (1995 का 43) की धारा 9 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय वक्फ परिषद् की स्थापना करती है और उसमें निम्नलिखित अध्यक्ष और सदस्यों को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त करती है, अर्थात्:—

संघ के वक्फ प्रभारी मंत्री

— अध्यक्ष

धारा 9 की उपधारा (2) के खंड (ख) के उपखंड (i) के अधीन नियुक्त किए गए सदस्य—

- (i) श्री रईस खान पठान,
बी-15, प्रथम तल,
हजरत निजामुद्दीन वेस्ट,
नई दिल्ली-110 013;
- (ii) श्री हनीफ अली,
म.नं. 22-1-48/डी, "हनीफ एस्टेट",
जमबाग, दारुलशिफा,
हैदराबाद 500 024;
- (iii) श्री मोहम्मद हारुन,
ए 379, मीर विहार,
मदन पुर डबास,
दिल्ली 110 081।

धारा 9 की उपधारा (2) के खंड (ख) के उपखंड (ii) के अधीन नियुक्त किए गए सदस्य—

- (i) डॉ दराक्षण अंद्राबी,
433, प्रथम तल,
राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सामने,
शास्त्री नगर, जम्मू 180084;

- (ii) श्री वसीम राहत अली खान,
पलैट नं. ए/603,
गुनदेचा अस्ता, ए.के. रोड,
मेहरा कम्पाउंड,
साकीनाका, मुंबई 400 072;
- (iii) डॉ. (श्रीमती) सैयद तनवीर नसरीन,
केशब रेजिडेंसी,
ब्लॉक-1, पलैट 7बी,
138, केशब चन्द्र सेन स्ट्रीट,
कोलकाता 700 009।

धारा 9 की उपधारा (2) के खंड (ख) के उपखंड (vi) के अधीन नियुक्त किया गया सदस्य—

श्री नौशाद टी.ओ., अधिवक्ता
तापेतली, वेन्मणी डाकघर,
चेंगन्नूर, जिला अलाप्पुषा,
केरल 689509।

धारा 9 की उपधारा (2) के खंड (ख) के उपखंड (viii) के अधीन नियुक्त किए गए सदस्य —

- (i) श्रीमती एस. मुन्नावरी बेगम
1/320, पुडिया पंजालियूर,
पेददेथालापल्ली डाक,
कृष्णागिरी 635002 (तमिलनाडु);
- (ii) श्री सैयद जैनुल आबेदीन अली खान,
हवेली दीवान साहेब दरगाह शरीफ,
अजमेर (राजस्थान)।

[फा. सं. 8/1/2018—वक्फ]

जे. आलम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February, 2019

S.O. 650(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 9 of the Waqf Act, 1995 (43 of 1995) read with rule 4 of the Central Waqf Council Rules, 1998, the Central Government hereby establishes the Central Waqf Council and appoints thereto the following Chairperson and members, for a period of three years, from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:—

- 1. Union Minister in charge of Waqfs** - Chairperson.
- 2. Members appointed under sub-clause (i) of clause (b) of sub-section (2) of Section 9 -**
- (i) Shri Rais Khan Pathan,
B-15, First Floor,
Hazrat Nizamuddin West,
New Delhi 110 013;
- (ii) Shri Haneef Ali,
H.No.22-1-48/D, "Haneef Estate",
Jambagh, Darulshifa,
Hyderabad 500 024;

- (iii) Shri Muhammad Harun,
A 379, Meer Vihar,
Madan Pur Dabas,
Delhi 110 081.

3. Members appointed under sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (2) of Section 9 -

- (i) Dr. Darakhshan Andrabi,
433, First Floor,
Opposite Govt Girls Hr. Sec. School,
Shastri Nagar, Jammu 180084;
- (ii) Shri Wasim Rahatali Khan,
Flat No. A/603,
Gundecha Asta, A.K Road,
Mehra Compound,
Sakinaka, Mumbai 400 072;
- (iii) Dr.(Mrs) Syed Tanveer Nasreen,
Keshab Residency,
Block-1, Flat 7B,
138, Keshab Chandra Sen Street,
Kolkata 700 009.

4. Member appointed under sub-clause (vi) of clause (b) of sub-section (2) of Section 9 -

Shri Naushad T.O.. Advocate,
Thazhathethli, Venmoney Post Office,
Chengannoor, Alappuzha District,
Kerala 689509.

5. Members appointed under sub-clause (viii) of clause (b) of sub-section (2) of Section 9 -

- (i) Smt. S. Munawari Begum,
1/320, Pudiya Panjaliyur,
Peddethalapalli Post,
Krishnagiri 635002 (Tamil Nadu);
- (ii) Shri Syed Zainul Abedin Ali Khan,
Haveli Dewan Saheb Dargah Shreef,
Ajmer (Rajasthan).

[F. No. 8/1/2018-Waqf]

J. ALAM, Jt. Secy.